न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2022 दायर दिनांक: 06.01.2022

उनवान

1. शांतिबाई पत्नि मांगीलाल जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल

— वादीया

वनाम

1. महेन्द्र कुमार उर्फ मधुसुदन शर्मा पि. बाबूलाल शर्मा नि. सेमला तह.सुनेल
2. प्रवीणकुमार उर्फ लाला शर्मा पि. महेन्द्र कुमार शर्मा नि. सेमला तह. सुनेल
3. जितेन्द्र कुमार शर्मा पि. महेन्द्र कुमार शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
4. राजेश कुमार शर्मा पि. बाबूलाल शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
5. धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पि. बावूलाल शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
6. गीताबाई पत्नि धर्मेन्द्र कुमार शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

अभिभाषक वादीया — श्री हुकुमचन्द कुमावत
प्रतिवादी सं. 1 से 6 — एकतरफा
प्रतिवादी सं. 7 — पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 18.07.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि ग्राम सेमला तहसील सुनेल में स्थित आराजी का विवरण इस प्रकार है। जमाबन्दी सम्वत् 2074—2077 के अनुसार खाता संख्या नया 435 पुराना 44 खसरा संख्या 201 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, 0.3162 हैक्टेयर लगानी राशि 02 रूपये 19 पैसे वादीनी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। यह कि वादीनी ने आराजी खरीदकर हकाई जुताई के लिए प्रतिवर्ष जमा राशि 5000/— रूपये में प्रतिवादी नं. 1 को दी है। वादीनी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ... प्रतिवादी नं. 1 व परिवार के सदस्य करते ... 5000/— रूपये दिये जाते रहे ... भूमि पर प्रतिवादीगण काश्त नहीं करते है। यह कि ... वादीगण शहजोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

जनबल एवं धनबल का सहारा लेकर वादीनी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा बनाये रखना चाहते है। जबकि वादीनी प्रतिवादी को भूमि काश्त करने के लिए नहीं देना चाहती है। बावनी ने सायं काशत करने के लिए आराजी पर ट्रेक्टर चलाकर बुआई करने लगे तो प्रतिवादीगण एकराय होकर हाथों में लाठियों लेकर आ गये तथा वादीनी एवं परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने को अग्रसर हुए। वादीनी ने व परिवार के सदस्यों ने उनका सामना किया। प्रतिवादी नं 02 व 03 कहने लगे कि हम तुम्हे काश्त नहीं करने देगें काश्त हम ही करेगें तुम जमीन हमे ही काश्त करने के लिए दो। नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगें। वादीनी व परिवार के सदस्य डर की वजह से वहाँ से आ गये है। यह कि प्रतिवादीयावादीनी का परिवार के सदस्यों को खातेदारी कब्जे काश्त भूमि मे काश्त करने हंकाई जुताई नहीं करने देते है। तथा आराजी खसरा नं. 201 पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। वादीनी को बेदखल करने को अग्रसर होकर लड़ाई झगडा करते है। जबकि प्रतिवादीगण का आराजी से किसी भी प्रकार का सारोकार, सम्बन्ध, नही है। यह वादीनी को डरा धमकाकर आराजी पर कब्जा कर काश्त करना चाहते है। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोकना आवश्यक है। यह कि वादीनी के काफी प्रयास किये, समझाइश करने को कोशिश की, प्रतिवादीगण अस्वीकृत शर्तों का उल्लेख कर, गलत प्रतिरोध कर, वादीनी एवं परिवार के सदस्यों को काश्त करने में रोक अवरोध प्रतिरोध लगाते है। हकांई जुताई कृषि यन्त्रों को रोकते है। खेत् पर आकर बैठ जाते है। हथियार लेकर आते है तथा धमकाते है। कृषि मजदूर, ट्रैक्टर ड्राइवर को धमकाते है। गाली देकर मारपीट की धमकी देकर आराजी से भगा देते है। उनके इस प्रकार के कृत्य असवैधानिक होकर अपराधिक कृत्य है इस कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उन्हे पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण वादीनी, परिवार के सदस्यों, कृषि मजदूरों, कृषि यन्त्रों के चालक आदि को कृषि करने, हकाई जुताई बुवाई, कटाई फसल तैयार करने से फसल निकालने में रोक अवरोध, गतिरोध उत्पन्न नहीं करें। वादीनी के कब्जे काश्त [illegible] दखलत नहीं करें। कृषि कार्यों में अशान्ति उत्पन्न नहीं करें। इस [illegible] की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

उचित है। यह कि वाद कारण लगभग 15 दिन से प्रतिदिन प्रत्येक क्षण उत्पन्न हो रहा है। जब भी वादिनी, वादीनी के परिवार के सदस्य आराजो खसरा नं. 201 पर, काश्त करने हकाई–जुताई–बुवाई करने जाते हैं। प्रतिवादीगण आकर वादीनी को कृषि कार्य करने से रोकते है। गतिरोध का प्रयास करते है। यही वाद कारण है। यह कि आराजी ग्राम सेमला पटवार हल्का सेमला तहसील सुनेल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि वाद अन्दर अवधि उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि वादीनी वाद पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करती है कि –

(अ) बहक वादीनी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादीनी के कब्जे, काश्त, खातेदारी की आराजी ग्राम सेमला खसरा नं. 201 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा 0.3162 हैक्टेयर भूमि में बेजा मदाखलत, बेजा मजाहमत नही करे। वादीनी, परिवार के सदस्यों को कांश्त करने. हकाई, बुवाई किसी भी प्रकार में रोक, अवरोध, गतिरोध, उत्पन्न नहीं करें। काश्त को कृषि यन्त्रो से तैयार करने में गतिरोध उत्पन्न नहीं करें। इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित राहत जो भी उचित एवं आवश्यक हो वादीनी को माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की जावें।

(स) खर्चा मुकदमा वादीनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया परन्तु प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से अभिभाषक श्री सुभाष दांगी उपस्थित हुए परन्तु कोई जवाब पेश नहीं किया। दिनांक 10.01. 2025 को प्रतिवादी सं. 1 से 6 के स्वयं एवं उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 10.01.2025 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी सं. 7 द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादी सं. 7 का जवाब बंद किया गया।

3. वादीया द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ग्राम सेमला का खाता सं. 435 की जमाबंदी सं. 2073–76 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, खसरा नक्शा दिनांक 31.12.2021 प्रदर्श–2, खसरा [illegible] प्रदर्श–3 पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

किये एवं साक्ष्यवादी में शातीबाई पत्नि मांगीलाल, मांगीलाल पि. गोपीलाल, के PW-1 To 2 के शपथपत्र/बयान कराये गये।

4. अभिभाषक वादीया एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादीया ग्राम सेमला तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 201 रकबा 0.3162 हैक्टेयर की रिकार्डेड खातेदार कृषक है। वादग्रस्त आराजी को वादीया द्वारा खेती करने के लिए पांति पर प्रतिवादी सं. 1 को दी गई थी। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीया को पांति/मुनाफा काश्त की राशि 5000/– प्रति वर्ष दी जाती थी और प्रति वर्ष की समाप्ति पर वादीया की भूमि पर प्रतिवादीगण काश्त नहीं करते थे। प्रतिवादीगण ताकत एवं धनबल का सहारा लेकर वादीनी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा बनाये रखना चाहते है जबकि वादीनी प्रतिवादी को भूमि काश्त करने के लिए नहीं देना चाहती है। जब वादीया द्वारा वादग्रस्त आराजी पर ट्रेक्टर लेकर बुआई करवाने लगे तो प्रतिवादीगण एकराय होकर वादीनी एवं परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने को अग्रसर हुए। प्रतिवादीगण बिना किसी विधिक प्राधिकार के जबरदस्ती बलपूर्वक वादीनी की भूमि पर कब्जा करना चाह रहे है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक वादीया द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 से 6 का बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं होना इस तथ्य को साबित करता है कि प्रतिवादीगण के पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई जवाब एवं साक्ष्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 से 6 को को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

5. पेरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि नियमानुसार वादीया का अनुतोष दिया जावे तो पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अभिभाषक वादीया की बहस एकतरफा के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सेमला तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 प्रदर्श 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(2)

खसरा संख्या 201 रकबा 0.3162 हैक्टेयर भूमि की खातेदार टीनेन्ट है। वादीया द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के खसरा नक्शा प्रदर्श 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया की आराजी है। वादीया द्वारा पेश साक्ष्य गवाह PW-2 ने अपने बयानों में कथन किया है कि वादीया वादग्रस्त भूमि की खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर मेरी पत्नी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा बनाये रखना चाहते है। जबकि मैं व मेरी पत्नी प्रतिवादी को भूमि काश्त करने के लिए नहीं देना चाहती है। हमने स्वयं काश्त करने के लिए आराजी पर ट्रेक्टर चलाकर बुआई करने लगे तो प्रतिवादीगण एक राय होकर हाथों में लाठियों लेकर आ गये तथा मुझे एवं परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने को अग्रसर हुए तथा आराजी खसरा नं. 201 पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है जबकि प्रतिवादीगण का आराजी से किसी भी प्रकार का सारोकार, सम्बन्ध, नही है। इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उन्हे पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण, मेरे परिवार के सदस्यों, कृषि मजदूरों, कृषि यन्त्रो के चालक आदि को कृषि करने, हकाई जुताई बुवाई, कटाई फसल तैयार करने से फसल निकालने में रोक अवरोध, गतिरोध उत्पन्न नहीं करें। साक्ष्य गवाह PW-1 शातीबाई पत्नि मांगीलाल वादीया द्वारा भी सशपथ बयान में इसी प्रकार का कथन कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। अतः साबित है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीया की भूमि में कब्जा करने का प्रयास किया है और वादी के खातेदारी अधिकारों का उल्लंघन किया है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादीया वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार टीनेन्ट है और कब्जा काश्तरत है जिस पर प्रतिवादीगण बलपूर्वक अवैध रूप से (without lawful authority) कब्जा करना चाह रहे है। अतः प्रतिवादीगण अतिक्रमी है। प्रतिवादीगण के जबरन कब्जा करने के प्रयास से वादीया को क्षति होना साबित है जिसकी क्षतिपूर्ति अपूरनीय होना संभावित है। प्रतिवादीगण को वादीया के खाते व कब्जे की आराजी से होकर जबरन ... स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद नहीं किये जाने ... झगड़ा एवं वाद बहुलता भी बढेगी। प्रतिवादीगण के ... न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(9)

और उनके पास न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु कोई साक्ष्य/जवाब नहीं और वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाकर दखल नहीं देने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किये जाने योग्य है। यहां धारा 188 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion, (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सेमला तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 201 रकबा 0.3162 हैक्टेयर भूमि के संबंध में वादीया का वाद धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में स्वीकार करने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम सेमला तहसील सुनेल की आराजी खसरा संख्या 201 रकबा 0.3162 हैक्टेयर भूमि भूमि में न तो जबरन कब्जा करें और न ही वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का विघ्न कारित करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

18/7/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2022 दायर दिनांक: 06.01.2022

उनवान

1. शांतिबाई पत्नि मांगीलाल जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल

– वादीया

बनाम

1. महेन्द्र कुमार उर्फ मधुसुदन शर्मा पि. बाबूलाल शर्मा नि. सेमला तह.सुनेल
2. प्रवीणकुमार उर्फ लाला शर्मा पि. महेन्द्र कुमार शर्मा नि. सेमला तह. सुनेल
3. जितेन्द्र कुमार शर्मा पि. महेन्द्र कुमार शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
4. राजेश कुमार शर्मा पि. बाबूलाल शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
5. धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पि. बाबूलाल शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
6. गीताबाई पत्नि धर्मेन्द्र कुमार शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक –

अभिभाषक वादीया – श्री हुकुमचन्द कुमावत
प्रतिवादी सं. 1 से 6 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 7 – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X.............. रूबरू..............X..............................

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम सेमला तहसील सुनेल की आराजी खसरा संख्या 201 रकबा 0.3162 हैक्टेयर भूमि भूमि में न तो जबरन कब्जा करें और न ही वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का विघ्न कारि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

निज ....X...................... मुवालिक ....X............... बाबत् खर्चा इरा मुकदमें के सूद बशरह ......X......................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........ .... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.07.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बावत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बावत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner